



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266169
CG-DL-E-15092025-266169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 588]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 632(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 5 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 97 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री स्नेहेल नाईक, वर्किंग प्रेसीडेंट, को गोवा पत्तन और डॉक कार्यकार संध को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अध्यधीन होगी। यह नियुक्ति, सदस्यता की वैधता की तारीख तक, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2025

G.S.R. 632(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 97 (E) dated 5th February, 2024, the Central Government hereby appoints Shri Snehel Naik, Working President, Goa Port & Dock Employees' Union as Member representing the interests of the employees on the Board of Mormugao Port Authority with immediate effect. The appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.